ACM अजमेर रु. जयपुर

फर्द अहकाम

रामनारायण बनाम मुरलीधर

नाम न्यायालय

केस संख्या 5/24 R

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	दिनांक
	28/3	आज्ञप्त दि. 28/3/25 को पत्रावली पेश हुई। श्री ... अवकाश/दौरे पर है। अतः पत्रावली दिनांक 3/4/25 को पेश हो।	
	3/4	पत्रावली पेश हुई। व. फ. उप., पत्रावली साबित आदेश 28/3/25 अनुसार आगामी पेशी दिनांक 8/4/25 को पेश हो।	
	8/4/2025	पत्रावली प्रस्तुत। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी व उनके अधिवक्ता अनुपस्थित पूर्व में भी अवसर दिया गया था। परन्तु बहस नहीं की गई तथा स्थगनार्थ हेतु भी आग्रहित किया गया था अतः प्रार्थी अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता के जाहिर किया आराजी पर प्रार्थी रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार है। बावजूद अप्रार्थीगण उक्त आराजी पर निरन्तर निर्माण कार्य कर रहे पड़ि अप्रार्थीगण उक्त कृत्य हेतु सफल होते हैं तो वाद का औचित्य समाप्त हो जावेगा। प्रस्तुत तर्कों, दस्तावेजात के अनुसार मामला, अपूर्वापहृत प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है अतः अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 10/1/2025 को मूलवाद के निर्णय तक स्थायी किया जाता है। पत्रावली मिसल ... होकर दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 18:41:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर
आमेर मु. जयपुर